न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष - आशीष श्रीवास्तव

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 4003-दो/15 विरूध्द आदेश दिनांक 16/11/2015 पारित व्दारा तहसीलदार पथरिया जिला दमोह के प्रकरण क्रमांक 28 /अ-27 /२०१४-२०१५, एवं अपील क्रमांक ३९८४/१५ में अपर आयुक्त सागर का आदेश दिनांक २०-११-१५

1 श्रीमती तृप्ति पाठक पुत्री स्व0 मनोहर राव पाठक
2 शान्तनु पाठक पुत्र स्व0 मनोहर राव पाठक
3 आशुतोष पाठक पुत्र स्व0 मनोहर राव पाठक
4 पवन पाठक पुत्र स्व0 मनोहर राव पाठक
5 श्रीमती वसुधा पाठक पत्नी स्व0 मनोहर राव पाठक
6 श्री देव मुरलीधर जी मंदिर मुहत्तकार प0 पवन कुमार
पुत्र स्व0 मनोहर राव पाठक

सभी निवासीगण स्टेशन चौराहा सिविल वार्ड
नंबर 8 दमोह तहसील व जिला दमोह म0 प्र0

- आवेदकगण

- विरूध्द -

1 सुभाष पाठक पुत्र स्व0 बसंत पाठक
निवासी जे0डी0ए0 स्कीम नंबर 338/14
विजय नगर घडी चौक के आगे कमल
बिहार के पास जबलपुर
2 श्रीमती शोभना जोशी पत्नी रवीन्द्र जोशी
निवासी 13 विनय चावला कोऑपरेटिव्ह
हाउसिंग सोसायटी प्लाट नंबर 95/5 तरूण
भारत कॉम्पलेक्स अंधेरी पूर्व मुंबई

3 श्रीमती चित्रा कविश्वर पत्नी किशोर कविश्वर
निवासी बी-20 इंडस्ट्रीयल एप्लाई सोसायटी
न्यू सामा रोड बडोदा गुजरात

4 सुधाकर राव पाठक पुत्र श्री नाथ राव पाठक
निवासी स्टेशन चौराहा सिविल वार्ड दमोह
तहसील व जिला दमोह म0 प्र0

5 श्रीमती सुचेता अवर्डीकर पत्नी उल्लास अवर्डीकर
अवर्डीकर का बाड़ा जटार साहब की गली लश्कर ग्वालियर

6 श्रीमती नम्रता आठले पत्नी सुधीर आठले
निवासी पुलिस थाने के पीछे वाईजा मेडीकल स्टोर
बिल्डिंग बूरी बोरी नागपुर महाराष्ट

7 श्रीमती अपेक्षा जोशी पत्नी जयंत जोशी व्दारा
सुधारक पाठक, निवासी सिविल वार्ड 8
स्टेशन चौक दमोह तहसील व जिला दमोह

8 श्रीमति निधिअम्बलकर पत्नी नितिन कुमार
360-3 आर0डी0 रेवेन्यू अपार्टमेंटस 319 चुलाहा
विस्टा सी0ए0 यू0एस0ए0 91910

9 पदमाकर राव पाठक पुत्र स्व0 श्री नाथ राव
स्टेशन चौराहा सिविल वार्ड नंबर 8 दमोह
तहसील व जिला दमोह म0 प्र0

10 श्रीमति प्रगति पाठक पत्नी पदमाकर पाठक
निवासी स्टेशन चौराहा सिविल वार्ड 8 दमोह
तहसील व जिला दमोह म0 प्र0

11 श्रीमती पुष्पलता केकतपुरा व्दारा दिलीप केकतपुर
साकिन प्लाट नंबर 171 सुरवे नगर जयतला
कांसिंग चौक के पास नागपुर महाराष्ट्र

12 विनय नगर स्पतर्षि पुत्र पुरूषोत्तम राव
निवासी 743 ए, टाट मिल चौक जन्माष्टमी
कालोनी कानपुर

13 अरूण कुमार सप्तिर्ष पुत्र स्व0 पुरूषोत्तम राव
बी- 151 वैशाली नगर जयपुर राजस्थान

14 अनिल कुमार सप्तर्षि पुत्र स्व0 पुरूषोत्तम राव
प्लेट नंबर 103 सृष्टि अपार्टमेंट फूलबाग के पास
रेल्वे क्रासिंग, ग्वालियर

15 यागेश सप्तर्षि
साकिन के0 20/239 लाल घाट राजमंदिर
वाराणसी उ0 प्र0

16 श्रीमती मीना नाईक पत्नी डा0 जी0 व्ही0 नाईक
साकिन प्रायवेट प्रेक्टिशनर एक्सरे क्लीनिक
महावीर चौक जालना, औरंगाबाद महाराष्ट्र

17 श्रीमती लता मुसारी पत्नी सुरेश राव
एम0एल0बी0 रोड शिंदे की छावनी परूस्कर
का बाडा, जीवन ज्योति नर्सिग होम के
सामने लश्कर ग्वालियर - अनावेदकगण

श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक, आवेदक

आ दे श

(आज दिनांक 5/4/16 को पारित)

यह निगरानी प्र क्र 4003-दो/15 रा.मं. में म0 प्र0 भू.राजस्व संहिता 1959 (जिसे संक्षेप में बाद में केवल संहिता कहा जावेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार पथरिया जिला दमोह के प्रकरण क्रमांक 28/अ-27/14-15 में पारित आदेश दि 16-11-2015 के विरुद्ध तथा अपर आयुक्त सागर के प्र0क्र0 अपील 3984/15 में पारित आदेश दिनांक २०-११-१५ के विरूदध रा0मं0 के विरूदध रा0 मं0 में संस्थित हुए है.

[१] यह आदेश रा मं के प्र क्र निग/४००३/दो/१५ और अपील/३९८४/१५ में संयुक्त रूप से जारी किया जा रहा क्यूंकि इन दोनों प्रकरणों की विषयवस्तु आपस में सम्बद्ध है. प्र क्र निग/४००३/दो/१५ रा मं में तहसीलदार पथरिया जिला दमोह के प्र क्र २८/अ-२७/१४-१५ के आदेश दि १६-११-१५ के विरुद्ध और प्र क्र अपील/३९८४४/१५ रा मं में आयुक्त सागर के प्र क्र १६९/अ-२७/१४-१५ के आदेश दि २०-११-१५ के विरुद्ध प्रस्तुत है.

[२] प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार है.

मान. चतुर्थ अपर जिला न्यायाधीश एवं फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट दमोह द्वारा पारित डिक्री दि ११-१२-०३ के क्रियान्वयन हेतु अनावेदकपक्ष द्वारा तहसीलदार पथरिया के समक्ष इस आधार पर आवेदन किया गया कि इस आदेश के विरुद्ध मान. उच्च नया. के समक्ष लम्बित अपीलीय प्रकरण प्रथम अपील क्र ९२/२००४ के अंतरिम आदेश दि १२-५-१५ से, आवेदकपक्ष द्वारा मान. उच्च न्या. द्वारा आदेश दि ४-७-०८ में उनपर लगाईं गई शर्तों का पालन नहीं करने के कारण, मान. उच्च न्या. द्वारा इस प्रकरण में आवेदकपक्ष के हित में पूर्व में दिया गया स्थगनादेश समाप्त (vacate) किया गया है.

इस पर आवेदकपक्ष ने तहसीलदार के समक्ष दि ११-९-१५ को आवेदन प्रस्तुत कर कार्यवाही स्थगित रखने का इस आधार पर निवेदन किया कि तहसील के उक्त प्रकरण को अन्य न्यायालय में अंतरित करने के लिए अपर आयुक्त सागर के समक्ष प्रकरण लम्बित है. तहसीलदार ने उनके आक्षेपित आदेश दि १६-११-१५ से आवेदकपक्ष का यह आवेदन यह लिखते हुए निरस्त कर दिया कि उनके न्यायालय को न्यायालय चतुर्थ अपर जिला न्यायाधीश एवं फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट दमोह द्वारा पारित डिक्री दि ११-१२-०३ का पालन मात्र करना है, कोई पृथक से आदेश नहीं करना, और यह कि आयुक्त सागर के न्यायालय से उनके न्यायालय की कार्यवाही स्थगित रखने के सम्बन्ध में कोई आदेश नहीं है.

दूसरी ओर आयुक्त सागर ने आक्षेपित आदेश दि २०-११-१५ से आवेदकपक्ष द्वारा उपरोक्त तहसील न्यायालय का प्रकरण किसी अन्य न्यायालय में अंतरित करने का आवेदन औचित्यहीन पाकर निरस्त कर दिया.

तहसीलदार के आदेश दि १६-११-१५ के विरुद्ध रा मं में प्र क्र निग/४००३/दो/१५ और आयुक्त के आदेश दि २०-११-१५ के विरुद्ध रा मं में प्र क्र अपील/३९८४/१५ प्रस्तुत हुए हैं.

[३] मैंने दोनों प्रकरणों में ग्राह्यता पर दोनों पक्षों के तर्क सुने और अभिलेख का परिशीलन किया. ऐसा करने पर मैं यह पाता हूँ कि आवेदकपक्ष द्वारा जो आधार उनके मेमोज़ और तर्कों

में रा मं के समक्ष अपने समर्थन में प्रस्तुत किए गए है वे मान्य किए जाने योग्य नहीं हैं क्योंकि ना तो वे प्रकरण के तथ्यों को पूर्णतः सही तरीके से दर्शाते हैं और ना ही उनमे कुछ भी ऐसा है जो आयुक्त और तहसीलदार के आदेशों और प्रकरण के अभिलेखों के परिशीलन के बाद मान्य किए जाने योग्य हो.

यह स्पष्ट है कि मान. उच्च नया. के समक्ष लम्बित प्रकरण प्रथम अपील क्र ९२/२००४ के अंतरिम आदेश दि १२-५-१५ से, आवेदकपक्ष द्वारा मान. उच्च न्या. द्वारा आदेश दि ४-७-०८ में उनपर लगाई गई शर्तों का पालन नहीं करने के कारण, मान. उच्च न्या. द्वारा इस प्रकरण में आवेदकपक्ष के हित में पूर्व में दिया गया स्थगनादेश समाप्त (vacate) किया गया है. मान. उच्च न्या. के समक्ष की यह अपील मान. चतुर्थ अपर जिला न्यायाधीश एवं फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट दमोह द्वारा पारित डिक्री दि ११-१२-०३ के विरुद्ध है, अतः मान. उच्च न्या. के आदेश दि १२-५-१५ से डिक्री दि ११-१२-०३ के क्रियान्वयन पर रोक बाकी नहीं रहती.

इसके प्रकाश में तहसीलदार पथरिया द्वारा उनके आक्षेपित आदेश दि १६-११-१५ से आवेदकपक्ष का आवेदन दि ११-९-१५ यह लिखते हुए निरस्त करना कि उनके न्यायालय को न्यायालय चतुर्थ अपर जिला न्यायाधीश एवं फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट दमोह द्वारा पारित डिक्री दि ११-१२-०३ का पालन मात्र करना है, कोई पृथक से आदेश नहीं करना, और यह कि आयुक्त सागर के न्यायालय से उनके न्यायालय की कार्यवाही स्थगित रखने के सम्बन्ध में कोई आदेश नहीं है, सही है. तहसीलदार के इस आदेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है.

इसी कर्म में आयुक्त सागर ने आक्षेपित आदेश दि २०-११-१५ से आवेदकपक्ष द्वारा उपरोक्त तहसील न्यायालय का प्रकरण किसी अन्य न्यायालय में अंतरित करने का आवेदन, समुचित आधार लेते हुए बोलते आदेश के स्वरूप में औचित्यहीन पाकर निरस्त कर दिया. आवेदकपक्ष ने कोई ऐसा ठोस आधार प्रस्तुत नहीं किया है जिसपर विचार करके आयुक्त के इस आदेश को गलत माना जा सके. अतः, आयुक्त के इस आदेश में भी मुझे किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं लग रही है.

फलस्वरूप, इस रा मं न्या. के समक्ष प्रस्तुत दोनों प्रकरण क्र निग/४००३/दो/१५ और अपील/३९८४/१५ के सन्दर्भ में मुझे इस बात का समाधान हो गया है कि आवेदकपक्ष द्वारा ये दोनों ही प्रकरण केवल इसीलिए यहाँ प्रस्तुत किए गए हैं ताकि अधीनस्थ तहसील न्यायालय में

प्रचलनयोग्य तथा प्रचलित कार्यवाही, जिसे रोके जाने का कोई ठोस आधार आवेदकपक्ष ने प्रस्तुत नहीं किया है और जिसके क्रियान्वयन पर से रोक मान. उच्च न्या. ने आवेदकपक्ष द्वारा मान. उच्च न्या. की ओर से लगाई गई शर्तों का पालन नहीं करने के कारण हटाई है, को विलम्बित किया जा सके.

अतः, मैं रा मं के समक्ष प्रस्तुत ये दोनों प्रकरण क्र निग/४००३/दो/१५ और अपील/३९८४/१५ अग्राह्य करता हूँ.

आदेश पारित.

पक्षकार सूचित हों.

प्रकरण समाप्त.

दा द हों.

(आशीष श्रीवास्तव)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश
ग्वालियर